31 3

राजस्थान सरकार
कार्मिक(क-5)विभाग

सं.प. 09(19)कार्मिक/क-5/95    जयपुर, दिनांक 21.12.95

परिपत्र

विषय:- रोस्टर रजिस्टरों का रख-रखाव और उनका निरीक्षण एवं राज्य की सभी सेवाओं में सीधी भर्ती और पदोन्नति के आंकड़ों का संग्रह ।

उपरोक्त विषयक इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दि. 22.8.95 जिसमें जिला स्तर पर स्थित विभिन्न अधीनस्थ कार्यालयों में संधारित रोस्टर पंजिकाओं के निरीक्षणार्थ, संबंधित विभागाध्यक्ष को अपने यहां निरीक्षण दलों का गठन कर, अधिकृत किया गया, को इस प्रयोजनार्थ निरस्त किया जाकर जिला स्तर पर स्थित विभिन्न विभागों में संधारित रोस्टर पंजिकाओं के निरीक्षण हेतु निम्न निर्देश जारी किये जाते है:-

1- प्रत्येक जिला कलेक्टर कार्यालय में उनके संस्थापन अनुभाग में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों में से, एक निरीक्षण दल का गठन किया जायेगा जो जिला स्तर पर स्थित विभिन्न अधीनस्थ नियुक्तिकर्ता अधिकारियों के कार्यालयों में संधारित रोस्टर पंजिकाओं के संधारण तथा उनमें की गई प्रविष्टियों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे ।

2- जिला स्तर पर गठित उक्त निरीक्षण दल के अधिकारी का दायित्व होगा कि उनके द्वारा तैयार किये गये निरीक्षण प्रतिवेदन, जो जिला कलेक्टर द्वारा अनुमोदित होंगे, की प्रति कार्मिक विभाग को शीघ्र भिजवाई जायेगी ।

3- जिला कलेक्टर कार्यालयों में उक्त कार्य के लिए गठित निरीक्षण दलों में नियुक्त अधिकारी/कर्मचारियों को हरिश्चन्द माथुर लोक प्रशासन संस्थान की विभिन्न इकाइयों में प्रशिक्षण दिया जायेगा ।

जहां तक स्वायत्तशासी निकायों, मंडलों और निगमों के रोस्टर रजिस्टरों के रख-रखाव व निरीक्षण का प्रश्न है, उसके लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग जिम्मेवार रहेगा। वे यह सुनिश्चित करेंगे कि अनु.जाति/जन जाति के व्यक्तियों के लिए रखे गये आरक्षण की अक्षरश: पालना हो रही है।

परिपत्र दिनांक 22.8.95 में लिंक आफीसर की नियुक्ति संबंधी आदेश यथावत रहेंगे ।

अत: अनुरोध है कि ऊपर उपदर्शित किए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाए तथा निरीक्षण दल के गठन सम्बन्धी आदेश की प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें ।

(ललित कोठारी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
2- निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर ।
3- समस्त निजी सचिव, मंत्री/राज्य मंत्री
4- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव ।
5- समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर्स एवं संभागीय आयुक्त सहित)
6- सचिवालय के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ ।

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
2- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर ।
3- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर ।
4- पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधीकरण, जयपुर।
5- सचिव, राजस्थान लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर ।
6- रक्षित पत्रावली ।

उप शासन सचिव